कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रायबरेली

पत्र संख्या–1903 /14-40-4 रायबरेली, दिनांक,नवम्बर,04, 2016।

सेवा में,

उप परियोजना प्रबन्धक
सेतु निर्माण इकाई
उ0प्र0,राज्य सेतु निगम
प्रतापगढ़।

विषयः– **जनपद रायबरेली में लखनऊ–इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.–24 बी) किमी0 83–84 के मध्य रेलवे सम्पार संख्या–24 ए (मामा चौराहा) रायबरेली के दायीं ओर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु 0.2791 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– वन संरक्षक, (केन्द्रीय) का पत्रांक–8 बी/06/91/2016/एफ0सी0/337 दिनांक 19–10–2016।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। जो कि आपको भी पृष्ठांकित है। संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत सेतु निर्माण के भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में 14 बिन्दुओं की आपत्तियॉ लगायी गयी हैं । इन आपत्तियों के निराकरण हेतु दिनांक 28–10–2016 को आपके अधिकृत अवर अभियन्ता के साथ बिन्दुवार चर्चा कर आपत्तियों का निराकरण करने के निर्देश दिये गये ।

आपत्तियों के अवलोकन किये जाने पर तथा प्रस्ताव की समीक्षा करने पर अन्य कमियों के साथ निम्न कमियॉ भी मेरे संज्ञान में आयी हैंः–

1– उक्त रेल उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति उ0प्र0 शासन के लोक निर्माण अनुभाग–11 के पत्रांक–24/161 (1)/23–11–2014–1/2 (26)/2014 दिनांक 10–12–2014 द्वारा निर्गत की गयी हैं । अतः प्रस्तावित सेतु निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग का है । अतएव भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाय।

2– रायबरेली–ऊँचाहार–फाफामऊ रेल मार्ग (जिस पर रेल सम्पार संख्या 24 ए स्थित है) उ0प्र0 शासन के वन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–104 (2)/14–2–503–77 दिनांक 9 मई 1977 द्वारा संरक्षित वन घोषित है। इस रेल मार्ग पर सम्पार संख्या–24 ए पर (मामा चौराहा) रेल उपरिगामी सेतु निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा रेलवे विभाग को दिया गया है परन्तु आप द्वारा प्रस्तुत भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में उक्त रेल उपरिगामी सेतु निर्माण द्वारा प्रभावित संरक्षित भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया है। अतः भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सम्पार 24 ए पर उपरिगामी सेतु निर्माण में प्रयुक्त होने वाली संरक्षित वन भूमि को भी सम्मिलित कर संशोधित प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के हस्ताक्षर से प्रस्तुत किया जाय।

3– वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि पर किसी भी प्रकार के गैर वानिकी कार्य हेतु भारत सरकार की पूर्वानुमति परम आवश्यक है, परन्तु क्षेत्रीय वन अधिकारी, रायबरेली ने सूचित किया है कि रेलवे सम्पार 24 ए पर रेल उपरिगामी सेतु के पिलर का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। यह कार्य वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के विरूद्ध तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या–202/95 (टी0एन0गोड़ावर्मन) में पारित निर्णय के प्रतिकूल है। इस सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा आख्या प्रस्तुत की जाय ताकि वन संरक्षक (केन्द्रीय) व नोडल अधिकारी को अवगत कराया जा सके ।

भवदीय

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रायबरेली

पत्रांक–1903/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 जिलाधिकारी, रायबरेली ।
2– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल,उ0प्र0,लखनऊ।
3– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0,लखनऊ।
4– अधिशाषी अभियन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड नं0–1, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद ।

(उमा शंकर दोहरे)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
रायबरेली

O/C